रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-520/2023/1565/22-2-2023-17(470)/2020
लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विकाश शर्मा उर्फ मौनी (बन्दी संख्या-16841) पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी-मौ0 सहाबराय, कस्बा व थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-184/2004 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा 0न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-01, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.02200.7 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक-22.01.2016 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को लघुकृत कर आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक-12.07.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी एक अन्य एस0टी0नं0-81/2004, 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-05, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक-08.07.2016 को 10 वर्ष की सजा से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 28.04.2023 तक 19 वर्ष 05 माह की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 02 माह 29 दिन की सपरिहार की भोगी गयी सपरिहार सजा एवं जेल आचरण अच्छा होने के दृष्टिगत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-520/2023/1565(1)/22-2-2023 तद्दिनांक ..

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रिमिनल) डायरी संख्या-18643/2021 जौहर उर्फ बोबी बनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-06.09.2021 के सन्दर्भ में।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in